

आदेश -

वाउ पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिग्री एवं आशय की दी जाती है डि ग्राफ फॉर्म की सरह में स्थित गृहि ख. नं. 1951 ई 2000 0-7900 में वाडी व प्रतिकारीगण 1 लगायत 5 का राजस्व रिपोर्ट में दर्ज किया एवं कुब्जा अनुसार वास्ते का प्रावधान रखते उसे विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार तदधीनकार उदयपुरवादी उभयपक्षों द्वारा की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय द्वारा में प्रस्तुत करें। डिग्री पर्यं जारी है।

निर्णय आज दिनांक 11-5-18 का उच्च कोर्ट फॉर्म में सुनाया गया। पञ्जावली जैसल शुभार होकर नम्बर 11 88 के तथा पञ्जावली दाखिल दफ्तर है।

उपलब्ध अभिलेख
उदयपुरवादी डिग्री